

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 2 जनवरी 2016—पौष 12, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2016

क्र. एफ-ए-3-60-2015-1-पांच (02).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 9-क क तथा धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-60-2015-1-पांच-(35), दिनांक 13 नवम्बर 2015 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग के संबंध में, उक्त सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वजन, मात्रा, माप या इकाई के आधार पर देय अतिरिक्त कर की राशि, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, नियत करती है, अर्थात्:—

सारणी

अ.क्र. (1)	माल का वर्ग (2)	कर की राशि (3)	निबंधन तथा शर्तें (4)
1	पेट्रोल	रुपए 2/- प्रति लीटर	1. मध्यप्रदेश राज्य के भीतर माल के विक्रय पर कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त कर देय होगा.
2	हाई स्पीड डीजल	पैसा 50 प्रति लीटर	2. मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के अधीन यथाविहित विवरणियां, यथावश्यक परिवर्तन सहित कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवसाई को लागू होगी.

2. यह अधिसूचना दिनांक 4 जनवरी 2016 से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2016

क्र. एफ-ए-3-60-2015-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-60-2015-1-पांच (02), दिनांक 2 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 2nd January 2016

No. F-A-3-60-2015-1-V(02).—In exercise of the powers conferred by Section 9-AA and Section 71 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) and in supersession of this department's Notification No. F-A-3-60-2015-1-V-(35), dated 13th November 2015, the State Government, hereby, fixes in respect of the goods specified in column (2) of the table below, the amount of additional tax payable on the basis of weight, volume, measurement or unit specified in column (3) and subject to the terms and conditions specified in column (4) of the said table, namely:—

TABLE

S.No. (1)	Class of goods (2)	Amount of Tax (3)	Terms and Conditions (4)
1	Petrol	Rupees 2/- per liter	1. The additional tax as specified in column (3) shall be payable on the sale of the goods inside the State of Madhya Pradesh.
2	High Speed Diesel	Paise 50 per liter	2. The returns as prescribed under the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 shall <i>mutatis mutandis</i> apply to the registered dealer selling the goods specified in column (2).

2. This notification shall come into force from 4th January 2016.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.